



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 750 / प्रशा. / 2021

भोपाल दिनांक 02/05/2021

:: आदेश ::

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक री-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 28.05.2021 के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू किया गया है। शासन के उपरोक्त परिपत्र एवं संलग्न निर्देशों को यथावत विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

उपरोक्त योजना विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/आकस्मिक निधि/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/मानदेय के रूप में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 02/05/2021

पृष्ठा क्रमांक, 751 / प्रशा. / 2021

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, म.प्र.शासन ,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय की ओर उनके परिपत्र दिनांक 28.05.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, म.प्र.शासन ,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. समरत विभागाध्यक्ष / कक्षाधिकारी की ओर सूचनार्थ।
4. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सचिव के माध्यम से मान. कुलपति जी की ओर सादर सूचनार्थ।
7. निज सहायक के माध्यम से मान. कुलसचिव जी की ओर सादर सूचनार्थ।
8. निजी नरती।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकूला नियुक्ति योजना

1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक/सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकूला नियुक्ति योजना निम्नानुसार लागू की जाएः-

2. उद्देश्य:-

इस योजनांतर्गत उपरोक्त प्रस्तावना में उल्लेखित सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकूला नियुक्ति प्रदान की जावेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।

3. पात्र कमी :-

3.1. राज्य के समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/ तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनका वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो ।

3.2. विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका

पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो।

3.3. विधि द्वारा स्थापित आयोग, ऐसी संस्थाएं जिनका शत प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से निकालीय नहीं है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जाता है उनमें उपरोक्तानुसार कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे।

4. पात्रता की शर्तें :-

4.1. मृतक सेवायुक्त मान्य चिकित्सीय जांच में (RAT/RTPCR) कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गयी हो।

4.2. मृत्यु को तिथे पर वह शासन के नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत हो।

4.3. मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिये।

4.4. उक्त योजना अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/09/2014 की कण्डिका 2 के अनुसार होगा।

4.5. मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने में आयु का वंधन नहीं होगा।

4.6. दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद,

आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपावृ होगा।

4.7. यदि किसी शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपावृ होगा।

4.8. जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।

5. योजना की अवधि :-

यह योजना 01 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

(स्पष्टीकरण- अगर सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।)

6.अनुकंपा नियुक्ति के नद .

इस योजना अंतर्गत कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3(गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी

अर्थात् -

क्र	मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार	पात्र आश्रित के नियोजन का प्रकार
1	नियमित	नियमित
2	कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत	कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत
3	संविदा	संविदा
4	दैनिक वेतन भोगी/ कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय	आउटसोर्स

7. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया:-

7.1. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.2. आवेदन मृत्यु दिनांक से 04 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी अधिकतम तीन माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे।

7.3. अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे देनु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभाग में बनाई जावेगी एवं इसका क्रम दिवंगत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित

किया जावेगा, अर्थात् जो सेवायुक्त पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुये दी जावेगी।

7.4. अनुकंपा नियुक्ति यथा संभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था।

7.5. यदि विभाग की स्थापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है, जिस पर परिवार के सदस्यों को कंडिका 6 के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है तो इसके लिए सांख्येत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा। ऐसे सांख्येत्तर पद पर की गई नियुक्ति भविष्य में नियमित पद की रिक्ति के विरुद्ध समायोजित की जावेगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से मांचेत्तर पर इन्हें दोनों पर स्वतः समाप्त समझा जावेगा।

सांख्येत्तर पद निर्मित करने की अनुमति निम्न समिति द्वारा दी जाएगी:-

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन | - अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | - सदस्य |
| 3. विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव | - सदस्य |

* द्वारा दुर्घट संपिच, राजनीत्य प्रशासन विभाग - सदस्य साचेव

7.6. दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जानी है।

7.7. दिवंगत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में उसे पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय

का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत सेवायुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा।

7.8. आउटरोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी ईक्षणिक योग्यता के आधार पर कण्डिका 8.3 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटर्स एजर्सी के माध्यम से नियोजित कराया जायेगा।

8. प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :-

8.1. जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि वह अनुमोदन देने से पूर्व, जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के समर्त प्रकरणों की समीक्षा कर लें, ताकि यथासंभव संबंधित जिले में भी एक अल्पोचक स्तर अनुकंपा नियुक्ति भी जा सके। यदि किसी विभाग में उपयुक्त पद रिक्त न हो तो जिले के अन्य किसी ऐसे विभाग में पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति अन्य ऐसे विभाग में दी जाने के निर्देश कलेक्टर संबंधित को दे सकेंगे। आशय यह है कि, यह अनिवार्यता नहीं रहेगी कि जिले में अनुकंपा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था।

8.2. राजिवालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में संबंधित विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे।

०.३. दानक वेतन भोगी/कलेक्टर दर पर कार्यरत/आऊटसोर्स/मानदेय कर्मी की मृत्यु पर उसके परिवार के पात्र सदस्य के आऊटसोर्स के माध्यम से नियोजित करने के लिए कलेक्टर/सक्षम विभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9. अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/संस्थाओं /प्राधिकरण /विश्वविद्यालयों/स्थानीयनिकायों/पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन हेतु

राज्य शासन के निगम/मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/विश्वविद्यालयों/ स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिकवेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आऊटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं को प्रकरण कंडिका 8.1 के अंतर्गत कलेक्टर को भेजवे जी आपरयक्ता नहीं होगी।

10. अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की समय-सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

R Path
(रजनीका पाठ्य)
28/12/2021

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुबंध नियुक्ति योजना अंतर्गत
आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रावित दिन
नाम अपनाएं
परिवर्तन करें।

- 1 (क) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त का पूर्ण नाम
 (ख) पदनाम
 (ग) नियोजन का प्रकार- नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकरिमकता से वेतन याने वाले/
 दैविक वेतनभोगी/लदर्थ/ संविदा /फ्लेक्टर दर/ आइटसोर्स/ मानदेय
 (घ) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु का दिनांक
 (ङ.) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत
 शासकीय सेवक/सेवायुक्त पदस्थ था,
- 2 (का) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम
 (खा) आवेदक संबंध सेवक/सेवायुक्त से संबंध
 (गा) स्थाई पता
 (घा) वर्तमान पता
 (ङा) जन्मतिथि----- अँकों में
 शब्दों में
 (क) आयु
 (ख) धर्म
 (ग) जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या
 अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो स्पष्ट रूप से दर्शाये
 (घ) रौपणिक अर्हताओं का विवरण
 (ङ) अन्य अर्हताओं का विवरण
 (ट) क्या आवेदक फैगिली/परिवार पेशनर है, यदि हो तो

स.क्र.	परिवार के पी.पी.ओ. क्रमांक	जिला कोषालय का नाम, जहां से प्रथम भुगतान हुआ	बैंक का नाम व पता	बैंक खाता क्रमांक
1	2	3	4	5

- 3 (क) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक द्वारा
 अनुकूला नियुक्ति देने हेतु सहमति:-

स.क्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के साथ संबंध	यदि सेवारत हो तो उसका विवरण सेवारत है शासकीय/अद्वशासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकूला नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/असहमति एवं हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5	6	7

धौषणा पत्र

गैर एतद्वारा धोषणा करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे जान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पाई जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपावृत्ता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

2. मैं यह घटना देता हूँ/देती हूँ कि, मैं स्व. श्री _____

(ठिकाना लगानी चाहिए) (रूपरूप/सेवायुक्त का नाम) के आकृति परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-धोषण अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-धोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकम्पा

स्थान:- _____

दिनांक:- _____

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप:- आवेदन पत्र के साथ लिम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्राप्तियां संलग्न की जावें:-

1. दिवंगत शास्त्रीय सेवक /सेवायुक्त का मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. मृतक सेवक/सेवायुक्त का पहचान प्रमाण-पत्र
3. आकृति सदस्य का पहचान प्रमाण-पत्र
4. शोकाणिक तथा अन्य अहताओं की अकसूची/प्रमाण पत्र
5. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
6. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
7. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तदविधयक प्रमाण पत्र
8. मृतक और आकृति सदस्य के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र
9. प्रयोगशाला रिपोर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 के परीक्षण में कोविड-19 की पोजिटिव रिपोर्ट आई है।
10. आऊटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में संबंधित आऊटसोर्स एजेन्सी का मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र।
11. कोविड-19 पाजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई अथवा कोविड-19 स्वरश्य होने के पश्चात् किसी वीड्सी से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र। जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो तो इस रूपांतरण के लिए दो चिकित्सक द्वारा मृत्यु की परिवेति या एक उल्लेख हो।
12. आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र।

//कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण//

मानित किया जाता है कि:-

- आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में, दिये गये संपूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से
जांच करी गई है।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार का जो विवरण दिया है,
उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है।
 3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री
दिनांक..... को कोविडग्रस्त हुये तथा उनकी मृत्यु दिनांक को
हो गई है। मृत्यु के समय वे इस कार्यालय में नियमित/स्थाईकर्मी/ कार्यभारित एवं
आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर
दर/आठटसोर्स/मानदेय के रूप मेंपद पर कार्यरत थे।
 4. म पूरा जाचापरात इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को मुख्यमंत्री कोविड-
19 अनुकर्म्पा नियुक्ति योजना के अंतर्गत अनुकर्म्पा नियुक्ति की पात्रता आती है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

(जहां दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त
कार्यरत था)

नाम -----

कार्यालय का नाम -----